

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

**जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित त्रिजुगीनारायण से तोषी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु
4.50 है० वन भूमि हस्तान्तरण**

28	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ
29	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
30	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	इस प्रस्तावित मोटर मार्ग का निरीक्षण दि० 02.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री ललित मोहन नेगी, वन क्षेत्राधिकारी, ऊखीमठ रेंज, श्री मंगल सिंह नेगी, वन दरोगा एवं श्री विजय सिंह नेगी साथ में रहे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों को बचाने एवं उनकी संख्या न्यून करने के उद्देश्य से मौके पर अन्य वैकल्पिक संरक्षण उपयुक्त नहीं पाया गया। प्रस्ताव में संलग्न भारत सरकार के प्रपत्र भाग-2 में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा दी गयी टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं। अतः उक्त वर्णित मोटर मार्ग निर्माण के लिए वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं स्थानीय वृक्ष प्रभावित न होने पाये, तथा निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चयनित स्थलों पर सावधानी पूर्वक किया जाय।

तिथि 15-10-2020

स्थान-गोपेश्वर।

(बी०पी० सिंह)

वन संरक्षक/निदेशक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।